आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15/06/17	**न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा** अनुज्ञप्ति अपील वाद सं0– 22/2016–17 रफीक अंसारी बनाम अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा (राज्य) **आदेश** यह वाद आवेदक रफीक अंसारी पिता–स्व0 मोख्तार अंसारी ग्राम–पतिला थाना–कांडी जिला गढ़वा की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा वाद संख्या 1/2015 में दिनांक 11.9.2015 को अनुज्ञप्ति संख्या 57/85 निरस्त करने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है । अपीलार्थी के अपील आवेदन के साथ–साथ अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अपील आवेदन में कहना है कि अपीलार्थी के विरूद्ध गॉव के ही व्यक्ति द्वारा निजी स्वार्थ हेतु जनसंवाद केन्द्र रॉची में शिकायत दर्ज कराया गया था। शिकायत दर्ज होने के पश्चात बिना जॉच पड़ताल किये केवल षडयन्त्र में शामिल व्यक्ति से पूछ–ताछ कर अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को दिनांक 11.09.2015 को रद्द कर दिया गया है। जनवंसाद केन्द्र रॉची में शिकायत के आधार पर अपीलार्थी के कार्डधारी से पूछ–ताछ न कर दूसरे दुकान की कार्डधारी से पूछ–ताछ किया गया। जनसंवाद में शिकायत करने वाले राकेश सिंह के द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र दिया गया कि मेरा बकाया राशन मिल गया। मुझे रफीक अंसारी(डीलर)से कोई शिकायत नहीं है। अपील आवेदन में आगे उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी एक ईमानदार व्यक्ति है। आपसी रंजीश के चलते एवं दबाव बनाने के उदेश्य से अपीलार्थी के विरूद्ध कुछ लोग गलत शिकायत किए थे । अपीलार्थी के सभी कार्डधारी द्वारा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि रफीक डीलर से कोई शिकायत नहीं है। जो लोग इनका शिकायत पहले किए थे, इनका कार्डधारी नही है। अपीलार्थी अत्यन्त गरीब एवं ईमानदार व्यक्ति हैं। अपने अपील आवेदन में उन्होनें अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा 11.09.2015 को पारित आदेश को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कांडी एवं श्री विरेन्द्र किण्डो कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 18.02.2016 को स्थल पर पहुंचकर वर्णित मामले की जॉच सभी लाभुकों की उपस्थिति में की गई । उपस्थित लाभुकों द्वारा बताया गया कि जनसंवाद में दर्ज शिकायतकर्त्ता श्री राकेश कुमार सिंह रफीक अंसारी के लाभुक नहीं थे। जॉच के कम में सैकडों लाभुकों द्वारा बताया गया कि रफीक अंसारी पर लगाया गया आरोप निराधार है तथा उक्त डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द होने से उन्हे दूर से अनाज लाना पड़ रहा है। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार रफीक अंसारी पर जन संवाद में दर्ज शिकायत सही नही होना बताया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अपने प्रतिवेदन में रफीक अंसारी जो इस वाद के अपीलार्थी है, की अनुज्ञप्ति पुनः बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया है ।	

मामले में पक्षकारों को सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी विगत 30 वर्षो से जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी हैं एवं दुकान का संचालन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करते हैं। निजी स्वार्थवश अपीलार्थी के विरूद्व मुख्य मंत्री जन संवाद में शिकायत दर्ज करा दिया गया था। उक्त दर्ज शिकायत पर जॉच पड़ताल किया गया। जॉच में कहीं से कोई शिकायत नही मिली। वाद की सुनवाई के कम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी मौखिक समर्पण किया गया कि मुख्यमंत्री जन संवाद में शिकायतकर्ता राकेश सिंह थे जबकि कार्ड उनके पिता के नाम से है। खाद्यान्न वितरण के समय में गांव पर नही थे जिसके चलते उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया जा सका था। बाद मे उनका बकाया राशन दे दिया गया। अब उन्हें अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है। इस आशय का उनके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति को पुनः चालू करने हेतु दिनांक 15.1.2016 को आवेदन दिया गया था जिसपर अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा के निर्देशानुसार जॉच किया गया। जॉच में पाया गया कि ग्रामीणों को कोई शिकायत नहीं है तथा इस आशय का ग्रामीणों द्वारा लिखित आवेदन देते हुए अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को पुनः चालू करने हेतु अनुरोध किया गया। तर्क में उनके द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय आदेश को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

मामले में सुनवाई के पश्चात् अनुमण्डल पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की अवश्यकता प्रतीत हुई जिसमें अपील विन्दुओं एवं रद्दगी आदेश में वर्णित शिकायतकर्ताओं के दावे की जॉच करने का भी निदेश दिया गया। उक्त प्रतिवदेन अनुमण्डल पदाधिकारी के पत्रांक 227 दिनांक 23.05.2020 से प्राप्त है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने के साथ–साथ निम्न न्यायालय अभिलेख एवं उसके साथ संलग्न कागजातों तथा अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी रफीक अंसारी जो जन वितरण के दुकानदार हैं,को अनुज्ञप्ति के शर्तो के पालन नहीं करने, खाद्यान्न की कालाबाजारी करने एवं श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा मुख्य मंत्री जन संवाद में दर्ज शिकायत पर तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा दिनांक 11.9.2015 को पारित आदेश के तहत उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया था। परन्तु अपीलार्थी रफीक अंसारी के विरूद्ध दर्ज शिकायत पर ग्रामीणों की उपस्थिति में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कांडी एवं श्री विरेन्द्र किण्डो कार्यपालक दण्डाधिकारी गढ़वा द्वारा जॉच किया गया जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध लगाया गया आरोप को निराधार बताया गया है एवं जन संवाद में दर्ज शिकायतकर्त्ता श्री राकेश कुमार सिंह को रफीक अंसारी (अपीलार्थी) के लाभुक नहीं होने की बात कही गई है इतना ही नहीं निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ संलग्न ग्रामीणों के बयान में रफीक अंसारी के विरूद्ध अब कोई शिकायत नहीं रहने की बात कही गई है । अनुमण्डल पदाधिकारी के अंतिम प्रतिवेदन में रद्दगी आदेश में वर्णित शिकायकर्त्ताओं के बारे में कोई उल्लेख नही है एवं अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कोई नकारात्मक तथ्य/प्रतिवेदन भी वर्णित नही है ।

इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज शिकायत निराधार प्रतीत होता है । फलतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा वाद संख्या 01(ज0सं0)/2015 में दिनांक 11.09.2015 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है ।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 11:46:05 +05:30
Location: 192.168.31.7

15/06/20

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

15/06/20

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।